

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 62 / 2022 तारीख 16.8.22 दिनांक निर्णय 8.9.22

उनवान

रिपोर्ट पटवारी इस्क फिरोजपुर बनाम शुक्ली राम पुत्र काना कौम
श्रीना दिवाली वादी

आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप उद्द. जवाब

पेश ~~किया~~ नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 208 2022 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल शुक्ली राम पुत्र काना को
जाति श्रीना निवासी कावडी
आराजी खसरा नं. 4, 5, 6 रकबा 0.30 ई. किस्म चरगाई वाके ग्राम कावडी
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.80 की 50 गुणा में नु.
90=00 लिखे गये कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

✓ फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 14 पृष्ठ का प. 90/-
राशि कायम किये गये।
वेदु
त. रा. लेखाकार

(Signature)
नायब तहसीलदार
तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)